27

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 22/2022

नरपत सिंह

बनाम

गोविन्द सिंह आदि

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री अमर सिंह शेखावत
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री विजेन्द्र सिंह दूत

:: **आदेश** ::

दिनांक 07.08.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वादी ने प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में विक्रय बाबत इकरारनामा दिनांक 04.02.2022 के आधार पर उक्त वाद केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके मुताबिक वादी ने इनको प्रतिवादी नं0 1 द्वारा कुछ भूमि विक्रय करने का तथ्य दर्ज किया है लेकिन प्रथम तो प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 3 है और उसका ही कब्जा काश्त है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा भूमि विक्रय करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है और ना ही उनको कोई कानूनी अधिकार है और द्वितीय वादी ने उक्त ईकरारनामा के अनुसार संपूर्ण राशि अदा नही करने का तथ्य भी दर्ज किया है जिसके संबंध में वादी को स्पेसिफिक परफोरमेंस कानून के तहत सिविल न्यायालय में वाद पत्र पेश करने का हक था। इस प्रकार के वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नही होने से वाद पत्र खारीज होने योग्य है। वादी को उक्त तथाकथित ईकरारनामें के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्व वादाधिकार कब कैसे व किस प्रकार पैदा हुआ है इस बाबत वाद पत्र के अभिवचन मे कुछ भी दर्ज नही किया है। जिसके अभाव में वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। वाद पत्र में दर्ज भूमि एस0बी0आई0 बैंक शाखा बसावा के पक्ष में रहन चल रही है लेकिन उक्त बैंक को पक्षकार नही बनाया है जिसके अभाव में वाद पत्र खारीज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त वाद पत्र को खारीज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि वादी को प्रतिवादी ने जरिये इकरारनामा विक्रय पत्र दिनांक 04.02.2022 को 2,50,000/– रूपये लेकर अपनी कृषि भूमि से 0.11 है यानि कि कच्ची 1 बीघा भूमि विक्रय की जिसमें 1,50,000/– नकद प्राप्त कर लिये शेष राशि वरवक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के रोज प्राप्त करेगा तथा दिनांक 04.02.2022 को वादी को कब्जा संभला दिया जिस पर काबिज है बहेसियत खातेदार काश्तकार है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा जानबुझकर विक्रय पत्र तस्दीक नही करवाया इसलिए वादी अपने कब्जे के प्रोटेक्शन के लिए न्यायालय में वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो बिना किसी विधिक प्रक्रिया के प्रतिवादीगण वादी को कब्जा के आधार पर वाद लेकर आया है जो राज0 का0 अधि0 के प्रावधानों के तहत न्यायालय को सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। वादी का वाद इकरारनामा दिनांक 04.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में वादी को विक्रित की गई भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही करने तथा दिनांक 10.02.2022 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाने की कहने पर इंकार करने पर व भू–माफियाओं को विक्रय करने की धमकी देने के रोज वादकारण पैदा हुआ इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वादी वाद का स्वामी होता है उसकी [illegible] के किसको पक्षकार बनाये एवं किसको पक्षकार नही बनाये प्रतिवादी वादी पर अपनी इच्छा थोप नही सकता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त उत्तर

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 25.03.2022 को न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत करने के लगातार पेश होने जबाबदावा में पत्रावली चली आ रही है न्यायालय के द्वारा वकील प्रतिवादी को जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु कोस्ट पर अंतिम अवार दिया जा चुका है इसलिए प्रतिवादी का जबाबदावा अं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:42:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

28
~~27~~

आदेश 8 नियम 01 सीपीसी के तहत बंद किया जावे। तमाम उर्ज प्रतिवादी अपने जबाब दावे में उठाने के लिए स्वतंत्र है जिसके आधार पर न्यायालय के द्वारा तनकीयात कायम कर निर्णय करता है परंतु जबाब दावा पेश नही कर जानबूझकर गलत नियत से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इकरारनामा 04.02.2022 के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। उक्त भूमि रिकॉर्ड में मामराज सिंह के नाम है जबकि इकरारनामा गोविंद सिंह पुत्र मामराज सिंह ने किया है। इकरारनामा करने के लिए गोविंद सिंह अधिकृत नही था इस इकरारनामा के आधार पर वादी को कोई भी अधिकार पैदा नही होते है। इकरारनामा के आधार पर दावा चलने योग्य नही है। सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक प्रर्फोमेंस एक्ट के तहत मुकदमा किया जावे। अतः दावा खारिज किया जावे। जबाब बहस में वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से जबाबदावा पेश हो चुका है जिसमें इकरारनामा करने का या कब्जा नही देने का कोई विरोध नही किया है। मै इकरारनामें की पालना के लिए नही आया हुँ बल्कि मुझे इकरारनामा की दिनांक से कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त कब्जे से बेदखल नही किया जावे इसलिए न्यायालय आया हुं। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मुझे बेदखल नही करें। उक्त भूमि पर मेरा कब्जा काश्त है। प्रतिवादी उक्त भूमि को अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर सकते है। इकरारनामा अभी लिमिटेशन में है उसमें लिखा है कि जब हमारे नाम हो जायेगी तो हम विक्रय पत्र तस्दीक करवा देंगे।

बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 10(क) में इकरारनामा दिनांक 04.02.2022 के आधार पर प्रतिवादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त इकरारनामा की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के लिए उक्त दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने से प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। अतः दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजूदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/08/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:42:14 IST
Reason: SelfAttested